राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

कमांक–प. 5(1) साप्र/3/11 जयपुर, दिनांक 24 JUL 2012

अति0 मुख्य सचिवगण/
प्रमुख शासन सचिवगण/
शासन सचिवगण।

–:परिपत्र:–

राज्य सरकार द्वारा टेलीफोन हेतु पात्र अधिकारियों को कार्यालय एवं निवासीय टेलीफोन व मोबाईल व्यय का वित्तीय सीमा के अर्न्तगत राजकोष से भुगतान करवाया जाता है।

प्राय: यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा अपनी विभागीय वेबसाइट पर विभागीय पात्र अधिकारियों के कार्यालय/निवासीय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर की सूचना उपलब्ध नही करवायी जा रही है, जिसके कारण इन विभागों के अधिकारियों से आवश्यकता पडने पर टेलीफोन/मोबाईल नम्बर के अभाव में सम्पर्क करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अत: सभी अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण से अनुरोध है कि कृपया वे अपनी विभागीय वेबसाइट पर टेलीफोन हेतु पात्र अधिकारियों तथा ऐसे अन्य अधिकारीगण जिनसे आमजन को टेलीफोन पर सम्पर्क करने की आवश्यकता रहती है, के कार्यालय/निवासीय टेलीफोन/मोबाइल नम्बर की सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करवाने की व्यवस्था करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(सी.के.मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

(डा0 आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव